रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 6, 2014/माघ 17, 1935
No. 294] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 6, 2014/MAGHA 17, 1935

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2014

विषय:- दिल्ली में फाम हाउसों के नियमितीकरण हेतु विनियम (दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत)

का.आ. 356(अ).— का.आ. 03(अ) दिनांक 31-12-2013 द्वारा अधिसूचित संशोधन वापस लिए जाते हैं ।

2. दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली में फार्म हाउसों, जिन्हें अधिसूचना कानूनी आदेश संख्या 2622(अ) दिनांक 30-10-2012 द्वारा अधिसूचित किया गया था, के नियमन हेतु विनियमों में निम्नलिखित संशोधन करता है ।

संशोधन

खण्ड 1.1 (i) एवं (ii) निम्न प्रकार संशोधित किए गए हैं :-

(i) दिनांक 7-2-2007 तक क्षेत्रीय पार्कों में निजी स्वामित्व वाली भूमि पर बनाए गए फार्म हाउसों से अलग अधिसूचित वन अथवा क्षेत्रीय पार्क क्षेत्र में आने वाले फार्म हाउस इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की शर्त के अधीन ।

(ii) क्षेत्रीय विकास योजनाओं में अनुमोदित एवं अधिसूचित आधारिक संरचना के मार्गाधिकार के क्षेत्र में जैसे विद्यमान/प्रस्तावित रेलवे लाइन/मुख्य योजना सड़कों, प्रमुख बड़ी जलापूर्ति एवं सीवेज लाइनों, उच्च वोल्टता (एच टी) लाइनों (यदि विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है), परिवहन एवं माल-भाड़ा कॉरिडोर और अन्य आवश्यक आधारिक-संरचना ।

[फा.सं. एफ. 3(103)96-एम.पी.]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2014

Sub: Regulations for Regularization of Farm Houses in Delhi

(Under Section 57 of DD Act, 1957)

S.O. 356(E).—The amendments notified *vide* S.O. 03 (E) dated 31.12.2013 stands withdrawn.

2. In exercise of powers conferred by Section 57 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following amendments in Regulations for Regularization of Farm Houses in Delhi which were notified *vide* Notification S.O. No. 2622 (E) dated 30.10.2012.

Amendments

Clause 1.1 (i) & (ii) is amended as follows:-

(i) Farm houses falling in the notified forest or in the Regional Park area other than farm houses built on privately owned land in Regional Park up to 7.2.2007 subject to orders of the Supreme Court of India in this regard.

(ii) In area of right of way of infrastructure approved and notified in the Zonal Development Plans such as existing/proposed railway line/Master Plan Roads, major trunk water supply and sewage lines, HT lines (If not conforming to provisions of Electricity Act), transport and freight corridor and other essential infrastructure.

[F. No. F. 3(103)96-MP]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

521 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.